

FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर

53/2024

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

12/02/24

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती ~~श्री. देवी w/o रतनलाल, देवीलाल शो. छगनाजी मोलौराम शो. छगुजी शिवलाल शो. छगनाजी, (लापरदेवी)~~  
~~श्री. मोदीराम जी आराजी~~

निवासी- बिजयपुर तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम .....

बिजयपुर स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर.....  $\frac{412}{0.14}$   $\frac{435}{0.03}$   
 $\frac{436}{1.34}$   $\frac{437}{0.19}$

कुल कीता 04 कुल रकबा 1.7000 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम बिजयपुर (तहसील बस्ती) स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर  $\frac{412}{0.14}$ ,  $\frac{435}{0.03}$ ,  $\frac{436}{1.34}$ ,  $\frac{437}{0.19}$

कुल कीता 04 रकबा 1.7000 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 1500 = 00 रुपये अक्षरे एक, छद्मा, पांच, (५) सय प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

(बीनू देवल)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़ (राज.)